मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 4105 / /MGNREG-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 25 / 04 / 12

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र
जिला पंचायत– समस्त

विषयः–स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिर्पोट का पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करने वावत्।
संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2739 / NR-4/MGNREG-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 दिनांक 15.03.12

-00-

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय संपरीक्षा विभाग से ऑडिट करवाये जाने एवं पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करने बावत निर्देशित किया गया था।

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग से ऑडिट पश्चात, ऑडिट रिर्पोट प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन स्थानीय निधि संपरीक्षा को सीधे भेजा जाये।

ऑडिट रिर्पोट में उल्लेखित महत्वपूर्ण आक्षेपों, जिनका राज्य शासन के ध्यान में लाया जाना आवश्यक हो तो, परिषद मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ0 क्रमांक / 4106 / NR-4 / 4 / 12 भोपाल, दिनांक 25 / 04 / 12

प्रतिलिपिः–

आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल की ओर भेजकर पूर्व अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 221 दिनांक 15.03.12 के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट रिपोर्ट परिषद की ओर से जिलों को सीधे ही भेजी जाये, यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य आप राज्य शासन के ध्यान में लाना चाहते हैं तो उसे पृथक से सूचित किया जाये।

आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.

क्रमांक / 4134 / /MGNREG-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 26/ 04 / 12

प्रति,

स्मरण–पत्र

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (खण्डवा, उमरिया, होशंगाबाद, मुरैन, टीकमगढ़, अशोकनगर, को छोड़कर)

विषयः–कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर संधारण किये जाने बावत्।

सन्दर्भः–म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र कमांक 11920 / एनआरईजीएस–एमपी / वित्त एवं लेखा / 2011 दिनांक 23.12.11 एवं पत्र कमांक 696 / एनआरईजीएस–एमपी / वित्त एवं लेखा / 12 दिनांक 20.01.12 एवं 1357 / एनआरईजीएस–एमपी / वित्त एवं लेखा / 2012 दिनांक 08.02.12 एवं प्रमुख सचिव का पत्र कमांक 3334 दिनांक 27.03.2012

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसमें मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं परिसम्पत्ति संधारण किये जाने निर्देश दिये गये थे योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति विषयक रजिस्टर संधारण किया जाकर उनका विधिवत सत्यापन कराते हुये परिषद को इस आशय का प्रमाण पत्र 15.04.2012 तक भेजा जावे।

यह चिंता का विषय है कि इस विषयक जिलों द्वारा की गई कार्यवाही से परिषद को अवगत नहीं कराया गया न ही निर्धारित प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर कर परिषद को भेजा गया है, यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि योजनांतर्गत परिसम्पत्ति रजिस्टर संधारण कर तदोपरांत परिषद को 30 अप्रैल 2012 तक निर्धारित प्रमाण पत्र प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की वित्तीय विसंगति हेतु संबंधित अधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे।
जानकारी तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ0 क्रमांक / 4135 / /MGNREG-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 26/ 04 / 12
प्रतिलिपिः–

समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल